Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, JAN-FEB, 2020, VOL- 7/57

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिला अधिकार का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शिवानी

(पी०एच०डी० शोधार्थिनी), समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, (बिड़ला परिसर), हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर–गढ़वाल, उत्तराखण्ड
ईमेल– ssshivanis123@gmail.com

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना है। यह शोध वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध प्रविधि पर आधारित है। इस शोध में न्यादर्श के लिए श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के 13 वार्डों से साधारण यादृच्छिक विधि के माध्यम से केवल 100 महिलाओं का चयन किया गया है। आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्राथमिक स्रोत्र (प्रश्नावली) एवं द्वितीयक स्रोत्र का उपयोग किया गया है। शोध निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ है, कि अधिकांश महिलाओं ने हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। अधिकतर महिलाओं का यह मत है कि महिलाओं के साथ हिंसा एक दण्डनीय अपराध है साथ ही 73 प्रतिशत महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान है तथा हिंसा के विरूद्ध कानूनी अधिकारों का उपयोग करना जानती हैं और 12 प्रतिशत अपने कानूनी एवं मौलिक अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं हैं, 62 प्रतिशत महिलाओं ने मादक पदार्थों के सेवन को उनके साथ होने वाली हिंसा के लिए प्रमुख कारक माना हैं तथा 30 प्रतिशत महिलाएं ऐसा नहीं मानती। अन्य कारणों में महिलाओं का कम शिक्षित, कानूनी अधिनियमों की अज्ञानता आदि है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा तथा महिला अधिकारों की जागरूकता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस प्रशासन को सहायता देनी चाहिए।

मुख्य बिन्द– *महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, महिलाओं के अधिकार एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा 21वीं सदी में समाज की अति गंभीर समस्या है। जिसके लिए भारत में विशेष रूप से कोई आदर्श नियम नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विशेष रूप से यौन शोषण के रूप में देखी जाती है। जिसके फलस्वरूप महिलाओं को अपने जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मक मानसिक और सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। कई वर्षों से महिलाओं को कमजोर और न्यायपूर्ण लिंग के रूप में जाना जाता रहा है। जो समाज में पुरुष वर्चस्व और रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आज आयु, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, धर्म, जाति आदि की परवाह किये बिना महिलाओं के विरूद्ध हिंसा सम्पूर्ण समाज में व्याप्त है।

महिलाएं सदैव से ही हर समाज में हिंसा का शिकार होती रही हैं। भले ही हिंसा के रूपों में भिन्नता हो सकती है परन्तु उस हिंसा को महिलाएं सहती हैं। अफ्रीका सहित कई देशों में तो संस्कृति के नाम पर महिला जननांगछेद्रीकरण और ब्रेस्ट आयरनिंग जैसी भयावह अमानवीय प्रथाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार इंपीरियल चीन में संस्कृति के नाम पर फुट बाध्यकरण को सदियों से महिलाओं पर थोपा जा

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 25 अगस्त 2013 की राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। महिलाओं के साथ हिंसा में 2010 से अब तक 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह विश्वास है कि लगभग 1 से 5 महिलाएं अपने जीवनकाल में एक ही समय पर शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं और यह प्रताड़ना उन्हें मुख्य रूप से उनके पति, पिता, पड़ोसी, सहकर्मी एवं किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा जीवन में बिना भेदभाव और आत्म–सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का उल्लंघन है। आमतौर पर महिलाओं को उत्पादक कार्यों का अत्यधिक बोझ सहना पड़ता है, और वह अवैतनिक श्रमिक के रूप में अपने जीवन के इन कार्यों का निर्वाह करती रहती हैं। वे वास्तव में अकेले ही भावी पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन उत्पादक कार्यों में महिलाओं के द्वारा दिए गये योगदान का खामियाजा उसे आर्थिक और सामाजिक जगत में हिंसा के रूप में भुगतना पड़ता है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध महिला के खिलाफ अपराध के आँकड़े बताते हैं कि भारत के कई हिस्सों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का स्तर बहुत अधिक है। जिसमें बलात्कार, अपहरण, दहेज मृत्यु, शारीरिक और मानसिक तनाव, छेड़छाड़, यौन शोषण और तस्करी आदि शामिल हैं। हालांकि यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के आधिकारिक तौर पर प्राप्त आकड़ें वास्तविक परिणाम के एक छोटे प्रतिशत को दर्शाते हैं। मुंबई (2000), में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बने एक संगठन के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है, कि हिंसा के कारण विशेष संगठन से मदद लेने वाली केवल 33 प्रतिशत महिलाओं ने हिंसा के खिलाफ पुलिस को मदद के लिए मंजूरी दी थी।

वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु हजारों महिला पुलिस स्टेशन, आधिकारिक महिला सलाहकार एवं विशेष अदालतों की स्थापना की गई है, सख्त कानून लागू किए गये हैं तथा आई०पी०सी० और सी०आर०पी०सी० में अनेक संशोधन किए गए हैं। हम अनेक बार महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की स्थापना, उन पर होने वाले अत्याचार का विरोध करने, महिला को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महिला संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत बार संगठित आंदोलन करते हैं; परंतु फिर भी यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि हमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की खबरें जैसे पति के द्वारा मार–पीट, हिंसा, बलात्कार, दहेज मृत्यु आदि मामलें सुनने और पढ़ने को मिलते रहते हैं। प्रबंधन द्वारा अधिक से अधिक धनराशि महिलाओं के सुधारात्मक उपायों में खर्च करने के बावजूद भी आज महिला की स्थिति में रूचिकर परिणाम प्राप्त करने में विफलता प्राप्त हुई है।

महिलाओं के मानवाधिकार

संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही मौलिक स्वतंत्रताएं तथा अधिकार प्रदान किए गये

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हैं। महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर आहार में भी भेदभाव किया जाता है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं प्रतिदिन सामान्य रूप से सुनने को आती रहती हैं। महिलाओं को सिद्धांत में तो समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु व्यवहार में उनके साथ सदैव भेदभाव किया जाता है। भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों के अंर्तगत महिलाओं के प्रति सम्मान का विवेचन किया गया है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेकों वैधानिक उपायों को भी उपबधित किया गया है।

महिलाओं की प्रगति का एक नया अध्याय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से एवं भारत में महिलाओं द्वारा बनाए गये संविधान से शुरु होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 1(3) और 8 इसकी आधारशिला है। विश्व में महिलाएं बिना भेदभाव, अन्याय या हिंसा के बिना डरे अपनी प्रगति कर सकें और समाज के उत्थान एवं विश्व शांति में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। महिलाओं को सम्पूर्ण विश्व में एक सम्मानीय स्थान प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को 'विश्व महिला वर्ष' घोषित किया गया था। भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग संवैधानिक संस्था है। जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग हैं, और मुख्य रूप से लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

सरकार ने अनेक अधिनियमों द्वारा भी महिला की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिलवाने का प्रयास किया है। जैसे–हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), कारखाना संशोधन अधिनियम (1976), बाल विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम (1978), अनैतिक व्यापार निवारण कानून (1986), दहेज निषेध संशोधन कानून (1986), स्त्री का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम (1986), कमीशन ऑफ सती निरोधक अधिनियम (1987), एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) आदि ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा लागू किए गये हैं। जिससे उनकी दशा में सुधार लाया जा सके और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके। महिला जागृति योजना, समन्वित महिला विकास योजना, किशोरियों हेतु योजना, महिला समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपनी बेटी अपना धन योजना, कुवंर वाइनुं मारेरू योजना एवं कामधेनु योजना आदि इसी प्रकार की योजनाएं हैं। जो सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही हैं।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

जैन, (2018) ने अपने शोध घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश महिलाएं

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

यह मानती हैं, कि अशिक्षित होना और लिंग भेदभाव का होना महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के लिए प्रमुख कारण है। अधिकाशं महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति बहुत कम जानकारी रखती हैं। परिवारों में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्हें सभी ऐसे गलत कार्य करने की छूट दी जाती है जोकि नैतिक रूप से गलत होते हैं। जिनका परिणाम हमें हिंसा, बलात्कार जैसे रूपों में देखने को मिलता है। **रॉय एवं अन्य, (2015)** ने अपने शोध में 'क्राइम अगेंस्ट वुमन' पर अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षो से स्पष्ट होता है, कि सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी पत्नियों के साथ की जा रही घरेलू हिंसा के मामलों में कमी नहीं आई है और यह समस्या सभी वर्ग, जाति, धर्म और सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति की महिलाओं में देखने को मिलती है। **शियोकंड, (2017)** ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन; प्रोब्लम एण्ड सजेशनः ए केस स्टडी ऑफ इण्डिया' के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि समकालीन भारतीय समाज में विशेष रूप से दिल्ली बलात्कार मामले के संदर्भ में महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों की मुख्य व्याख्या की है। शोध निष्कर्ष के रूप में बताया की केन्द्र और राज्य सरकारों के अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, दहेज हत्या, यौन–उत्पीड़न, लड़कियों को बेचना, छेड़छाड़ आदि अपराधों में कमी नहीं आई है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए महिलाओं में प्रभावी और कुशल भारतीय पुलिस प्रणाली और सरकार के विधायी उपायों के प्रति जागरूकता पैदा करना सर्वात्म उपाय है। **सिंह एवं विश्नोई, (2015)** ने 'आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्रायः आजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में' अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक घरेलू हिंसा का शिकार निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति की महिलाएं होती हैं। अधिकांश महिलाएं कम शैक्षिक योग्यता को घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण मानती हैं। अतः महिलाओं को उच्च शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। **विसेन्टएवं अन्य (2019)** ने 'क्राइम अगेंस्ट वुमन इन इण्डियाः अनवैलिंग स्पाटिअल पैटर्न एण्ड टैम्पोरल ट्रेन्ड्स ऑफ डाउरी डेथ्स इन द् डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश' के अध्ययन में स्पष्ट किया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा इतनी अधिक बढ़ गई है कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने उच्च प्रभाव वाली स्वास्थ्य समस्या की सूची में शामिल किया है। 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में दहेज से संबंधित मृत्युओं के बदलते स्थानिक स्वरूप विश्लेषण अध्ययन में किया गया है। पूर्व में किये गए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के मामलों में कोई कमी नहीं आई है।

अध्ययन का उद्देश्य

महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध प्रविधि पर आधारित है। वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं जनसंख्या

शोध अध्ययन का कार्य क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल से सम्बन्धित है। यह नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित नगर है, जो 13 वार्डों में विभाजित है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रीनगर की कुल जनसंख्या 20,115 है। जिसमें 10,751 पुरुष एवं 9,364 महिलाएं हैं। सुविधात्मक विधि के आधार वाड़ों को चयनित किया।

न्यादर्शन विधि एवं न्यादर्श

दैव निदर्शन की सुविधात्मक विधि के आधार पर शोधकर्ती ने वार्ड संख्या 5 से 500 परिवारों में से केवल 100 परिवारों का चयन किया। साधारण यादृच्छिक विधि के द्वारा 100 महिलाओं का चयन किया। जिसमें 68 विवाहित 32 अविवाहित महिलाएं सम्मलित हुई। विवाहित महिलाओं की आयु का स्तर 18 से 38 वर्ष के बीच है और अविवाहित महिलाओं की आयु का स्तर 18 सें 23 वर्ष के मध्य थी।

आँकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या

तथ्यों को एकत्र करने के लिए प्राथमिक स्रोत्र में प्रश्नावली एवं द्वितीयक स्रोत्र में पाठ्य–पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं रिपोर्ट आदि के उपयोग द्वारा आँकड़ों का एकत्रीकरण किया है। शोधकर्ती द्वारा चयनित 12 कथनों की प्रश्नावली के प्राप्त उत्तरों को निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अधिकारों के प्रति मतों का विवरण

क्र० सं०	कथन	पूर्णत्या असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूर्णत्या सहमत
1	महिला के विरूद्ध हिंसा अपराध की श्रेणी में आता है।	0 (0.0%)	3 (2.9%)	2 (1.9%)	27 (26.0%)	72 (69.2%)
2	लड़कियों द्वारा छोटे कपड़े पहनना हिंसा का प्रमुख कारण है।	43 (41.3%)	48 (46.2%)	4 (3.8%)	6 (5.8%)	3 (2.9%)
3	हिंसा के विरूद्ध महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कानूनों का प्रभाव	1 (1.0%)	14 (13.5%)	13 (12.5%)	67 (64.4%)	9 (8.7%)
4	महिलायें अपने अपने मौलिक एवं कानूनी अधिकारों से अवगत है।	3 (2.9%)	48 (46.2%)	5 (4.8%)	43 (41.3%)	5 (4.8%)
5	विश्व महिला वर्ष 1975 में घोषित हुआ।	1 (1.0%)	4 (3.8%)	47 (45.2%)	30 (28.8%)	22 (21.2%)
6	मादक प्रदार्थो का प्रयोग महिला हिंसा को बढ़ाने में सहायक है।	5 (4.8%)	24 (23.1%)	9 (8.7%)	54 (51.9%)	12 (11.5%)
7	घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से घरेलू हिंसा में कमी आयी।	11 (10.6%)	43 (41.3%)	13 (12.5%)	34 (32.7%)	3 (2.9%)
8	परिश्रमिक अधिनियम से महिलाओं और पुरूषों के वेतन में समानता आयी है।	8 (7.7%)	47 (45.2%)	11 (10.6%)	38 (36.5%)	0 (0.0%)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

क्र० सं०	कथन	पूर्णत्या असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूर्णत्या सहमत
9	लिंग भेदभाव हिंसा का प्रमुख कारण है।	4 (3.8%)	6 (5.8%)	6 (5.8%)	54 (51.9%)	34 (32.7%)
10	महिलाओं का अशिक्षित होना उनके साथ हिंसा होने का प्रमुख कारण है।	6 (5.8%)	37 (35.6%)	1 (1.0%)	41 (39.4%)	19 (18.3%)
11	महिला हिंसा के विरूद्ध पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी चाहिए।	0 (0.0%)	2 (1.9%)	1 (1.0%)	43 (41.3%)	58 (55.8%)
12	हिंसा विशेष रूप से एक प्रकार का यौन शोषण है।	2 (1.9%)	20 (19.2%)	7 (6.7%)	46 (44.2%)	29 (27.9%)

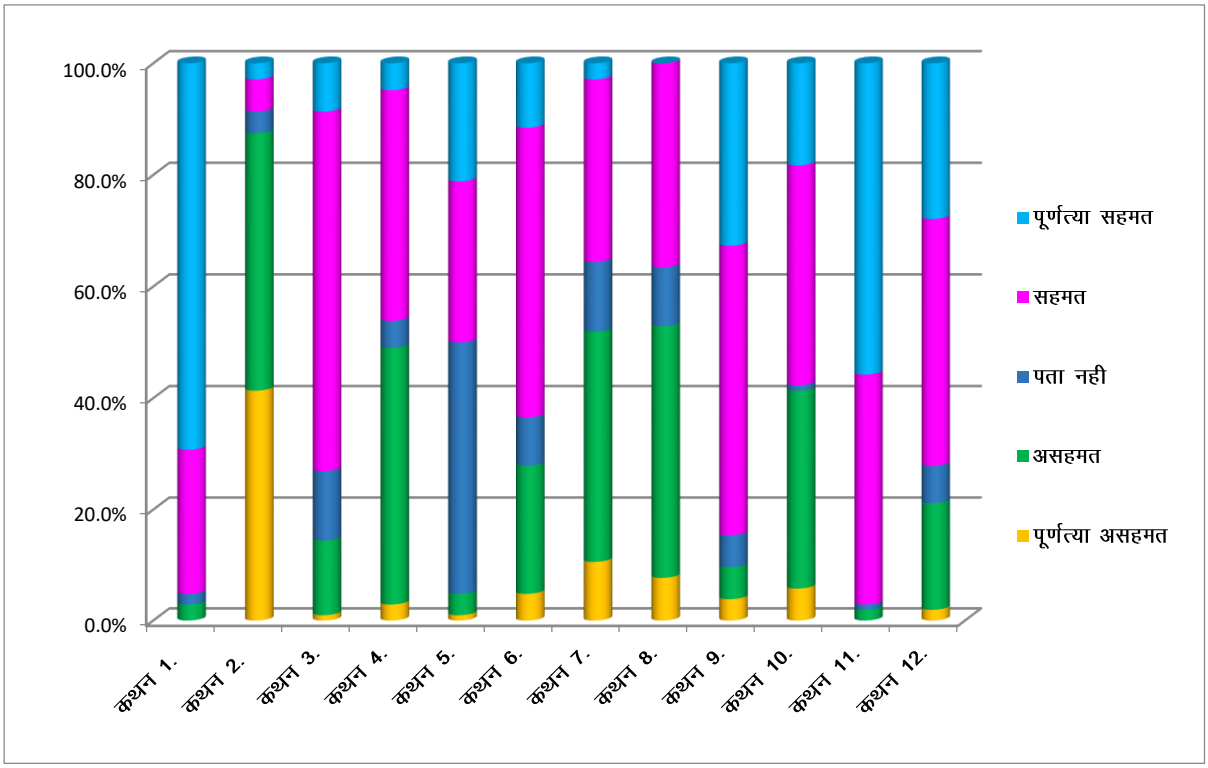

परिणाम एवं व्याख्या–

शोधकर्ती ने प्रश्नावली के द्वारा महिलाओं में होने वाली हिंसा के प्रति विचारों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न कथनों का प्रयोग किया। प्रथम कथन के अनुसार 95 प्रतिशत महिलाओं का मत है, कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक अपराध की श्रेणी में आता है। लगभग 87 महिलाओं का मत है कि उनके द्वारा छोटे कपड़ों को पहनना हिंसा को भड़काने से सम्बन्धित नहीं है, केवल 8 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि छोटे कपडें को पहन कर शारीरिक प्रदर्शन महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध को बढ़ाता है। महिलाओं के प्रति हिंसात्मक अभिवृतियों को बढ़ाने वाले कारणों में प्रमुखता पुरूष प्रधान समाज की संकुचित मानसिकता का होना और अनेक कारण है जो इस समाज में हिंसात्मक प्रवृतियों को जन्म देते है।

कुल महिलाओं में से 73 प्रतिशत महिलाओं को अपने सुरक्षा सम्बन्धित मौलिक एवं कानूनी

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अधिकारों का ज्ञान है, 12 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित होने के कारण महिलाओं को सुरक्षित रखने वाले अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा निर्धारित विश्व स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित एव विशेष स्थान के लिए निर्धारित वर्ष की जानकारी 45 प्रतिशत महिलाओं को नहीं है तथा केलव 49 प्रतिशत महिलाओं के विश्व महिला दिवस की जानकारी है।

मादक पदार्थों का प्रयोग हिंसा को प्रभावित करने में लगभग 62 प्रतिशत महिलाएं सहमत है वहीं दूसरी ओर लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं मादक प्रदार्थों को हिंसा का कारण नहीं मानती। वर्तमान समय में मादक प्रदार्थों का प्रयोग सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बनता जा रहा है। लेकिन वहीं प्रतिष्ठा का सूचना भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसाओं का उत्तेजित करने में सहायक होता है।

महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा अधिनियम की समाज में प्रभावशीलता को लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं नगण्य मानती हैं, साथ ही 34 प्रतिशत शिक्षित महिलाएं इस अधिनियम से में होने वाली वृहद्ध स्तर पर होने वाली हिंसा में कुछ स्तर तक सकारात्मक सुधार आया है।

लैंगिक भेदभाव को हिंसा का प्रमुख कारण मानने में 88 प्रतिशत महिलाओं ने सहमति प्रदर्शित की। भारत सरकार द्वारा लैंगिक भेदभाव को दूर करने के निर्धारित अधिनियम को लगभग 55 महिलाएं असार्थक मानती हैं। महिलाओं का मानना है कि लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज एवं नैतिक मूल्यों का विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए शिक्षा से सर्वोत्तम हथियार है।

कथन संख्या 10 के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं यह बताती है कि महिलाओं का अशिक्षित होना ही उनके प्रति समाज का हिंसात्मक प्रवृतियों को बढ़ाता है। अशिक्षा का होना अधिकारों की अज्ञान को बढ़ाता है। भारतीय समाज में आज भी शिक्षा का स्तर की गुणवत्ता क्षेष्ठ नहीं है जो समाज में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक प्रवृतियों को बढाने में सहायक है। इसके विपरीत लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षा को कारण न मानकर अन्य कारणों को प्रमुख मानती हैं।

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए 96 प्रतिशत महिलाओं का अपना यह मत है कि पुलिस प्रशासन ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को कम करने में पुलिस प्रशासन को नियमित रूप से सहयोग देना चाहिए। लगभग 71 प्रतिशत महिलाएं यौन शोषण को ही महिला के प्रति हिंसा मानती है। वही दूसरी और 20 प्रतिशत महिलाओं का यह मत है कि उनके प्रति होने वाली हिंसा विभिन्न प्रकार से होती है। जैसे एसिड आक्रमण, दहेज के विरूद्ध जलाना, शारीरिक शोषण आदि अनेक कारण हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव–

शोधकर्ती ने प्रश्नावली के विभिन्न कथनों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है, कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को बढ़ाने में अशिक्षा, सुरक्षा सम्बन्धित अधिकारों की कमी, मादक प्रदार्थो का दुरुपयोग आदि कारण हैं। महिलाओं को उनके मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जानकारी देना भारत सरकार एवं शैक्षणिक संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है। साथ ही सुरक्षा सम्बन्धित अधिनियमों की जानकारी से समाज की महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों पर सकारात्मक रूप से रोक लगायी जा सकती है। महिला समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो स्वयं को समायोजित करने के साथ–साथ एक परिवार और साथ–साथ सम्पूर्ण राष्ट्र को समृद्ध एवं विकसित करने का कार्य करती है। इसलिए समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उपर्युक्त कदम उठाये जाए। महिलाओं को हिंसा से सुरक्षित करने के लिए प्रशासन को ऐसी नीतियों और योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। जिससे उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में कमी लायी जा सके तथा महिलाओं के साथ हिंसा करने वाले अपराधियों के प्रति भी कठोर दंड के प्रावधान किए जाने चाहिए।

सन्दर्भ सूची

कपिल, एच० के० (2008). सांख्यिकी के मूल तत्व (सामाजिक विज्ञानों में), आगराः अग्रवाल प्रकाशन।

गुप्ता, एस० पी० एवं गुप्ता, ए० (2017). अनुसंधान संदर्शिका सम्प्रत्य, कार्यविधि एवं प्रविधि, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन एण्ड़ टिस्ट्रीब्यूटर्स।

गुप्ता, एस० पी० एवं गुप्ता, ए० (2013). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन सांख्यिकी सहित, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन एण्ड़ टिस्ट्रीब्यूटर्स।

जैन एवं अन्य (2018). शोध घरेलू हिंसा एवं महिला मानव अधिकारः गुना शहर की महिलाओं के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कालर्ली रिसर्चस् इन एलाइड एजुकेशन, वॉल्यूम–105(03), पृष्ठ संः 166–169.

जयाकुमार, ए० एवं शिवदास ए० (2017). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड बिसनेस एण्ड इकोनॉमिक रिसर्च, वॉल्यूम–15, पृष्ठ सं०– 327.

परमार, एस० (2015). नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार.नई दिल्लीः ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ संः 199–200.

पाण्डे, टी० एवं पाण्डे, एस० (2009). भारत में सामाजिक समस्यायें. नई दिल्लीः टाटा मेकग्रा हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड।

रॉय, ए० के० एवं अन्य (2015). क्राइम अगेंस्ट वुमन. जर्नल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल एण्ड डेन्टल साइंस, वॉल्यूम– 4(39), पृष्ठ संः 6860.

वॉयलेन्स अगेंस्ट वुमन इन इण्डिया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमन (आई०सी०आर०डब्ल्यू०) फॉर यूएनएफपीए, अप्रैल 2004.

विसेन्ट, जी० एवं अन्य (2020). जर्नल ऑफ द रॉयल स्टेटिकल सोसाइटी, वॉल्यूम– 183(2), पृष्ठ संः 655–679.

सतपथी, वी० (2008). आश्रित वर्गों के मानव अधिकारः दलित, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक और असंगठित श्रमिक. नई दिल्लीः विवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ संः 151.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सिंह, एन० एवं विश्नोई, आर० (2015). आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्राय. ए जर्नल ऑफ एडवांस इन मैनेजमेंट आईटी एण्ड सोशल साइंसेस, वॉल्यूम– 5(7), पृष्ठ सं०: 9–14.

शर्मा, आर० एवं मिश्रा, एम० के० (2012). भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं. नई दिल्लीः अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ सं०: 5–6.

शियोकंड, यू० (2017). क्राइम अगेंस्ट वुमन: प्रोब्लम एण्ड सजेशनः ए केस स्टडी ऑफ इण्डिया का अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंसेस, वॉल्यूम– 5(7), पृष्ठ सं०: 218–223.

शर्मा, आर० ए० (2005). मापन मूल्यांकन एवं सांख्यिकी मेरठः इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस।

श्रीवास्तव, पी० (2015). भारतीय महिलाएं परिवर्तन के दौर में. नई दिल्लीः अमेजिंग पब्लिकेशन, पृष्ठ सं०: 176–178.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies